

सहायक आयुक्त  
ई वृत्त III, जयपुर  
बनाम  
मै हिन्दुस्तान जिंक लि.  
उदयपुर

.....अपीलार्थी

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ  
श्री खेमराज, अध्यक्ष  
श्री के.एल जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा  
उपराजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी विभाग की ओर से

अनुपस्थित


..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से


निर्णय दिनांक : 25/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा उक्त अपीलें अतिरिक्त उपायुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय प्राधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 86,87,157,158/वेट/14-15/उदयपुर में दिये गये आदेश दिनांक 24.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन वृत्त तृतीय (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के तहत पारित आदेश दिनांक 15.09.2014 में अधिनियम की धारा 61(1) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। उक्त चारों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही संयुक्त आदेश द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।
2. एकपक्षीय बहस सुनी गई
4. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त आदेश को अपास्त करने तथा अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
5. बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड देखा गया। प्रकरण के तथ्यों से विदित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नियमित व्यापार क्रम में खरीद एवं बिक्री विवरणों के साथ आगत कर का क्लेम उनके द्वारा प्राप्त बिलों अनुसार किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय यह पाया कि जिन विक्रेताओं द्वारा कर जमा नहीं है उससे सम्बंधित आगत कर का क्लेम प्रत्यर्थी को नहीं दिया जा सकता परंतु आगत कर के क्लेम को अस्वीकार करने के साथ अधिनियम की धारा 61(2) के तहत शास्ति भी आरोपित की गई है जबकि अपीलार्थी द्वारा धारा 18(1) अनुसार क्लेम पेश करने से करवंचना नहीं होती है क्योंकि क्लेम की जांच पर उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का कार्य कर निर्धारण अधिकारी का होता है उसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वयं कोई अभियोग नहीं बनाया जाता बल्कि नियमित कर निर्धारण में क्लेम की पात्रता पर निर्णय किया जाता है। इस तरह बिना किसी करवंचना के आरोप में सम्पूर्ण संब्यवहारों के लेखांकनों के पश्चात शास्ति आरोपण उचित नहीं होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के श्री कृष्णा इलेक्ट्रिक (2009) 23 VST/249 के प्रकरण में दिये गये निर्णय के आधार पर न्यायिक निर्णय कर शास्ति अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। फलस्वरूप अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(के.एल.जैन)  
सदस्य

  
(खेमराज)  
अध्यक्ष